

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पितासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-33/2021

तारीख दायर:-02.08.2021  
तारीख निर्णय:-01.05.2025

1. श्री बाबु पिता पन्ना भील निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री सुरजमल पिता थावरा तबीयार निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
2. श्री थावरा पिता लादु दरागी निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
3. अंजमा पिता पुना सीवणा निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
4. श्रीमती मणीदेवी पत्नी कालु डामोर निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
5. श्री अमरा पिता नानजी तबीयार निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
6. श्री अर्जुन पिता नानजी मबीयार निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
7. हलु पिता विन्दा सागीया निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
8. श्री कैलाश पिता विन्दा सागीया निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
9. श्री कान्तीलाल पिता विन्दा सागीया निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।

.....अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.**

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री रतनलाल गुर्जर

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

**निर्णय**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा हुण्डला पटवार सर्कल डैया तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 527/280 रकबा 0.7900, 269 रकबा 0.14, 277 रकबा 0.80, 278 रकबा 0.18, 279 रकबा 0.24, 520/270 रकबा 0.35 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा हुण्डला पटवार सर्कल डैया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 527/280 रकबा 0.7900, 269 रकबा 0.14, 277 रकबा 0.80, 278 रकबा 0.18, 279 रकबा 0.24, 520/270 रकबा 0.35 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक

उपखण्ड अधिकारी  
झाडोल, जिला-उदयपुर



तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध खातेदार का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार परस्परकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा हुण्डला पटवार सर्कल डैया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 527/280 रकबा 0.7900, 269 रकबा 0.14, 277 रकबा 0.80, 278 रकबा 0.18, 279 रकबा 0.24, 520/270 रकबा 0.35 है 0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)  
उपलब्ध अधिकारी  
इलाहाबाद, जिला उन्नावपुर